

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या -87/2023-24

तिथि

आदेश

कि गई कार्रवाई

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी पटमदा के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैं :-

1. विक्रेता/दाता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. विक्रेता/दाता और क्रेता/ग्रहिता दोनों ही पिछड़ी जाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. ग्रहिता/क्रेता एवं दाता/विक्रेता दोनों ही एक ही जिला के निवासी हैं, जिस जिला के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (ख) के अन्तर्गत विक्रेता/दाता :- -खंकि महतो, पति-स्व० घासीराम महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-दिघी, थाना-पटमदा, अंचल-पटमदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम को मूल्य-2,00,000/-रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता/ग्रहिता :- 1) प्रणाम महतो, 2) विरिची महतो, पिता-जितु महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-बोड़ाम, थाना-बोड़ाम, अंचल-बोड़ाम, जिला-पूर्वी सिंहभूम, के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन का ब्यौरा :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
दिघी	81	163	913	0.23ए०
			284	0.14ए०
		156	912	0.26ए०
			911	0.45ए०
		157	280	0.49ए०
			281	0.10ए०
		कुल-		1.67ए०

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

10/9/23
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धालभूम, जमशेदपुर

13844d
12.9.23